राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 30 मार्च, 1983

क्रमांक **176-ज(I)-83/11004.**—श्री रामजी लाल, पुत्र श्री नत्थन, गांव लोहटको, तहसील व जिला गुड़गांवा, की दिनांक 13 दिसम्बर, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामजी लाल को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3037-जे०-ऐन०-III-66/6684, तथा दिनांक 19 अप्रैल, 1966, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर.-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सरूपी देवी के नाम खरीफ़, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 20, अप्रैल 1983

क्रमांक **294-ज(I)-83/13204.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती राघ कौर, विधवा श्री शेर सिंह, गांव डेरा सलेमपुर, तहसील व जिला अम्बाला, को खरीफ़, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **295-ज-(I)-83/13211.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री बाला राम, पुत्र श्री काला, निवासी मौजूमदार, लाईन अम्बाला, तहसील व जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 29 अप्रैल, 1983

क्रमांक **460-ज(II)-83/13935.**—श्री रतन सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह, गांव खरैमपुर, तहसील व जिला हिसार, की दिनांक 6 मई, 1982, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रतन सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 532-ज.-I-79/16895, दिनांक 9 अप्रैल, 1979 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती सुरजां के नाम खरीफ़, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 3 मई, 1983

क्रमांक **494-ज(II)-83/14290.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री ईश्वर सिंह, पुत्र श्री गंगा राम, गांव ढाणा खुर्द, तहसील हांसी, जिला हिसार, को खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

टी. आर. तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।